फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाड़ा)

प्रेम पुत्री पेमा रेगर नि. रामपुरा जीय

बनाम

बन्ना पिता काना बैरवा नि. जानोली जीय

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए.   मुकदमा नं 103/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
16.11.21	प्रार्थना पत्र प्रशासन गांवो के संग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम जानोली प. ह. जानोली तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 1385/15 रकबा 0.3240 है. कुल किता 01 रकबा 0.3240 है. स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ौसी अप्रार्थीगण है। उन्हे सीमा बिन्दु की पुख्ता जानकारी नहीं होने से आये दिन हकाई जुताई कटाई के समय अनावश्यक विवाद होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से पत्थरगढ़ी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 राज. भू. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम जानोली प. ह. जानोली तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 1385/15 रकबा 0.3240 है. कुल किता 01 रकबा 0.3240 है. की बतानसात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पण्डेर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500— रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक .11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाड़ा)	

Scanned with CamScanner